न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/56

1. रामकुंवर पुत्र गोपाल पत्नी रामकरण जाति माली निवासी मकान नम्बर 09 गली नम्बर 05 वार्ड नम्बर 10 उर्दुपुरा रसि गली उज्जैन (म0प्र0) ।
2. तुलसी बाई पुत्री गोपाल जी पत्नी चतुर्भुज जाति माली निवासी मकान नम्बर 13, गली नम्बर 1, महेश नगर हनुमान मंदिर के पास सैलाना रोड रतलाम (म0 प्र0) ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गालाल उर्फ राजेन्द्र आत्मज गोपाल जाति माली निवासी गली नम्बर 03, कमल कॉलोनी, उज्जैन (म0 प्र0) ।
2. पार्वती बाई पुत्री गोपाल जी पत्नी बाबूलाल जी जाति माली निवासी ग्राम तीरथ मालियों के मंदिर के पास तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. गीता बाई पुत्री गोपाल जी बेवा नन्दकिशोर जाति माली निवासी गुर्जरों का मोहल्ला कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. रूकमणी बाई पुत्री गोपाल जी बेवा संतोष किरोडीवाल जाति माली निवासी चांदमारी ईट का भट्टा सेंट पॉल स्कूल के पास जिला अस्पताल के सामने धार रोड, इन्दौर ।
5. उप पंजीयक, के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहीसलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 21.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया उक्त

वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चरडाना तहसील के0 पाटन में खसरा नम्बर 812 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1802 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.61 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.92 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 1.04 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमियॉ गोपाल आत्मज देव्या के खातेदारी में दर्ज थी । गोपाल के दो पत्नियॉ थी विवाहिता पत्नी कंचन थी जिसके दो पुत्रियॉ हुई व दूसरी पत्नी नाताशुदा थी जिसके चार संतानें अप्रार्थी क्रम 1 से 4 हुई । गोपाल की दोनों पत्नियों की मृत्यु हो चुकी है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 2/6 भाग व अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 4/6 भाग हिस्सा बनता है । वैधानिक रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 से 4 उक्त वादग्रस्त आराजी के संयुक्त रूप से सहखातेदार दर्ज हैं । गोपाल की मृत्यु के बाद अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 का ससुराल में रहने का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त भूमि का फौती इंतकाल मात्र अपने व अपनी माता पाना के नाम खुलवा लिया था । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने नाम खाते में दर्ज होने से अन्य व्यक्ति को बेचान करने, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थी क्रम 1 ने रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि में से प्रार्थीगण के हिस्से तक की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार कब्जा नहीं दे और प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं करे और न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई दखल पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए आदेश पारित किया कि प्रार्थीगण के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.12.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करने में त्रुटि की है । अप्रार्थीगण उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने अथवा रहन, बेचान करने पर आमादा है । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार दर्ज होने की अधिकारी है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में तय पायी गई है फिर भी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट गोपाल की पुत्री है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से मृतक गोपाल जी के स्थान पर स्वयं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा करवा लिया। रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी पर हिस्सा तय किये बिना ही उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसे स्थगन आदेश के जरिये नहीं रोका गया तो अपीलान्ट को अनेकानेक वाद विवादों में फंसना पडेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया क अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से तक रेस्पोडेन्ट को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम यह कथन करते हुए पेश किया था कि वादग्रस्त आराजी गोपाल आत्मज देव्या जो कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के पिता थे के खाते की है । वादीगण गोपाल जी के वैध उत्तराधिकारी होने के वादीगण इस आराजी में संयुक्त रूप से 2/6 हिस्से के खातेदार हैं और उसी अनुसार उनका कब्जा है । वादीगण की सहमति से प्रतिवादी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी पर काश्त कर रहे हैं । प्रतिवादी ने गलत रूप से इंतकाल अपने और अपनी माता के नाम खुलवा लिया है जबकि वादीगण का वादग्रस्त आराजी में हित–निहित है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे और प्रार्थीगण के हिस्से तक की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा नहीं दे तथा आराजी को रहन, बेचान नहीं करे ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है । प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है ।

11. वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 दुर्गाप्रसाद व पार्वती बाई के खाते में दर्ज है । प्रार्थी अपीलान्टगण का यह कथन है कि गोपाल की पुत्री होने के नाते उनका वादग्रस्त आराजी में हित – निहित है । यद्यपि राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते में दर्ज है परन्तु गोपाल की पुत्री होने के नाते प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण का भी उसमें हित–निहित होना पाया जाता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संख्या 87/2014 आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण

के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया है जो विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा